बिहार पुलिस अकादमी

बिहार पुलिस

BIHAR POLICE ACADEMY
RAJGIR

बढ़ते कदम

मासिक पत्रिका
(अप्रैल 2025 अंक)

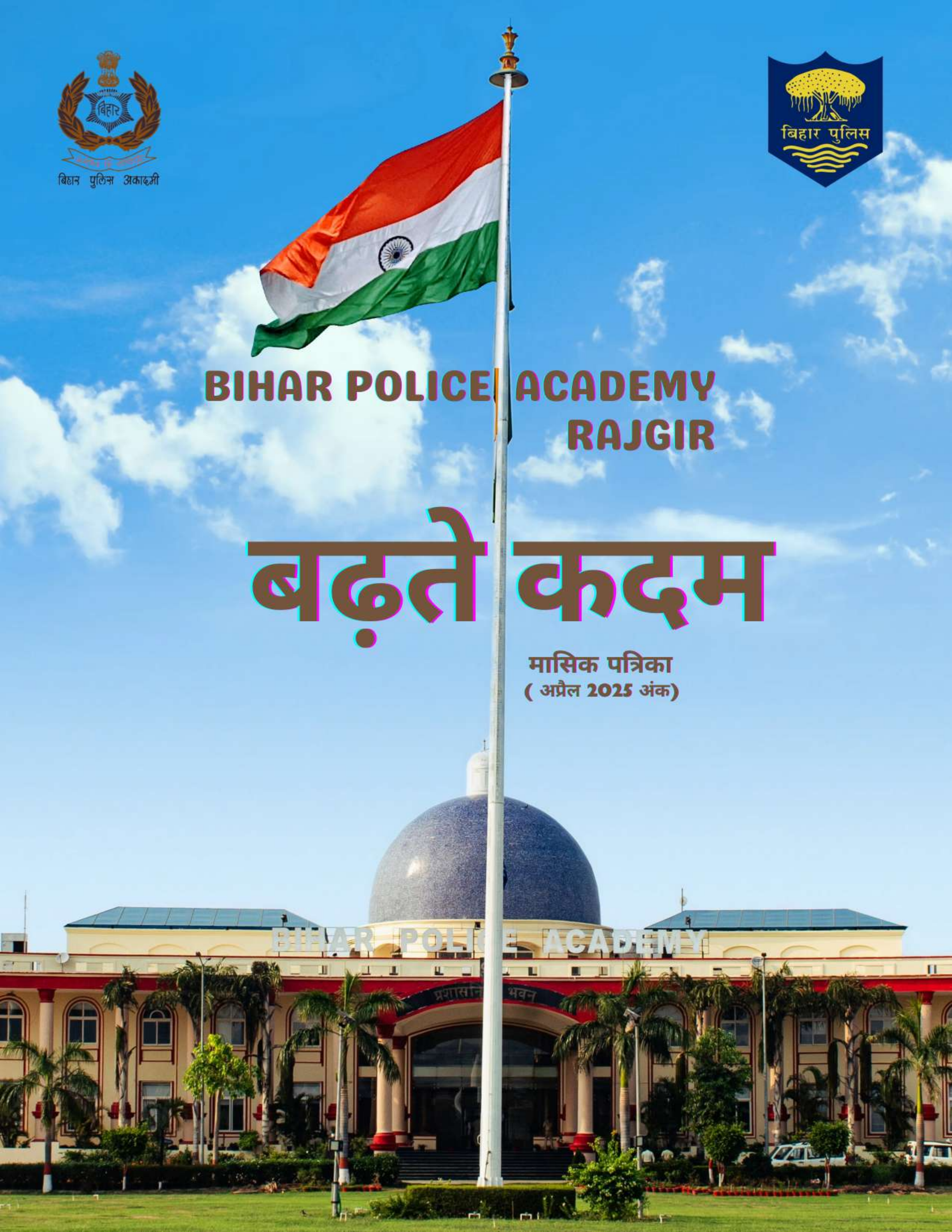

Few Snaps from the Annual Sports Meet ’25:

INDEX:

Content | Page No.

Content	Page No.
• मौलिक अधिकार एवं संरक्षण	04
• No Electronic Communication of Notices U/S 41(1) CrPC/ 35 BNSS	06
• खेलों में छिपा जीवन का दर्शन	08
• Entries of Endurance	09
• वर्दी से पहले	09
• स्वप्न से सेवा तक: मुख्यालय की अनुभूतियाँ	10
• पुलिस व्यवस्था में लैंगिक संवेदनशीलता: बिहार का सकारात्मक प्रयास	11
• The Beautiful Ache of Becoming	12
• शून्य	14
• पहले	14
• Few Snaps from the Greyhounds attachment:	15
• Few more snaps :	16

From The Editorial Desk:

Welcome to the **April 2025** edition of **"बढ़ते कदम"**, the monthly magazine of Bihar Police Academy, Rajgir. This issue brings together thoughtful reflections, lived experiences, and introspections that capture the evolving spirit of our academy and the deeper essence of life in uniform.

We begin with **"मौलिक अधिकार एवं संरक्षण "**, an article that explores how the fundamental rights are crucial for a person, their types and their safeguards. Alongside it, **"No Electronic Com...."** provides the glimpses of the guidelines provided by the Supreme Courts and the provisions of BNSS,2023 while making arrests.**"खेलों में छिपा जीवन का दर्शन "** . **"Entries of Endurance"** makes a compelling case for consistency as the true engine of success, especially in the demanding life of police personnel.

"वर्दी से पहले" is a heartfelt account that reminds us of the person behind the uniform, while **"स्वप्न से सेवा तक: मुख्यालय की अनुभूतियाँ"** beautifully captures the aspirations and emotional journey of probationers during their time at Police Headquarters.

This edition also sheds light on the sensitive and timely topic of **लैंगिक संवेदनशीलता** within policing, highlighting Bihar's progressive efforts in ensuring gender-sensitive practices in law enforcement.

Lastly, **"The Beautiful Ache of Becoming"** offers a poetic reflection on growth, resilience, and the inner transformations that come with serving the nation. **"शून्य"** poem captures the essence of life where everything emergence from singularities and everything vanishes into it.

We hope this edition enriches your understanding, inspires introspection, and fosters a deeper connection with the values we uphold at the Bihar Police Academy. As always, your feedback and engagement are most welcome in our collective journey of learning and leadership.

मौलिक अधिकार एवं संरक्षण

वे संवैधानिक अधिकार, जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, वह मौलिक अधिकार है। यह किसी व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास बाधित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतएव, लोकतंत्रात्मक राज्यों में प्रत्येक नागरिक को बिना धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान इत्यादि के किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है।

भारतीय संविधान के अध्याय–भाग 3 द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस तरह 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए, जो निम्नवत् हैं:

(1) समानता का अधिकार
(2) स्वतंत्रता का अधिकार
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(5) संस्कृति तथा शिक्षा संरक्षण संबंधी अधिकार
(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

यदि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका (रिट) दायर कर सकता है।

अनुच्छेद 32 द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (Enforcement) के लिए प्रदान किये जाने वाला "संवैधानिक उपचार" भी मौलिक अधिकार अंतर्गत ही आता है क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण एवं प्रत्याभूति दाता (गारंटर) बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु भारत के राज्यक्षेत्र अंतर्गत रिट (याचिका) जारी की जाती है।

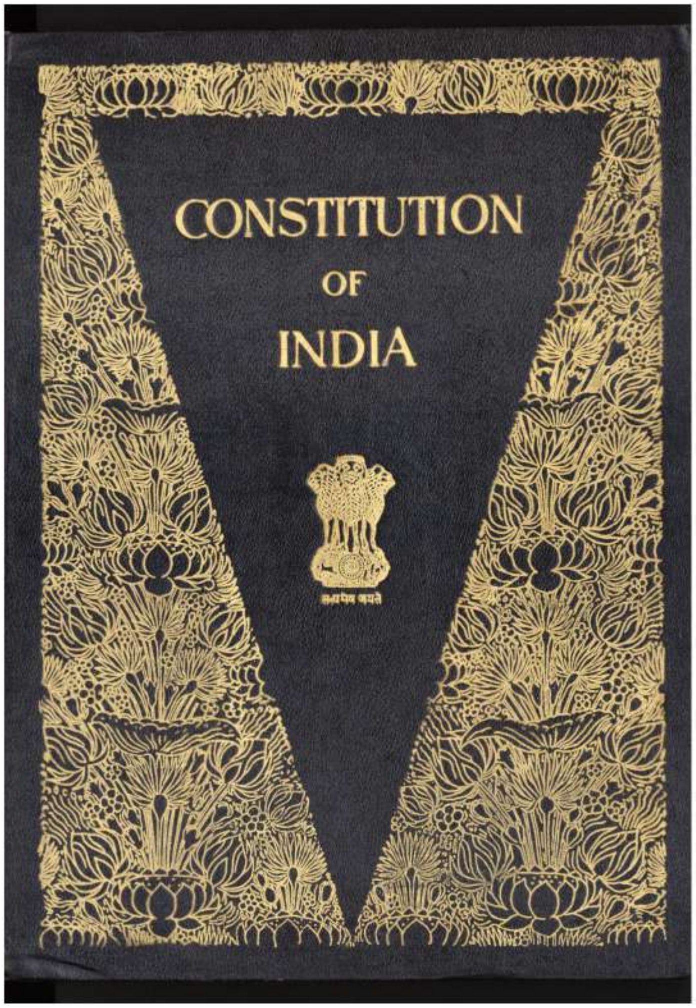

लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रांतर्गत ही मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त सामान्य प्राकृतिक विधि के उल्लंघन में भी रिट जारी करता है।

न्यायालय निम्नलिखित पाँच प्रकार की रिटें निर्गत कर सकते हैं:

(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):

यानि कि "शरीर को प्राप्त करना"। यह रिट तब निकाली जाती है, जब किसी को असंवैधानिक रूप से निरुद्ध किया गया है। यह रिट लोक अधिकारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध निकाली जा सकती है। इस रिट को प्रभावित व्यक्ति के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना है।

(ख) परमादेश (Mandamus):

अर्थात "आज्ञा"। परमादेश तभी निकाला जाता है जब कोई पदाधिकारी, सरकार, अवर न्यायालय, न्यायिक निकाय या वे व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के लिए बाध्य हैं, ने अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति आर्म्स अनुज्ञप्ति की सारी शर्तों को पूरा करता है, तब भी जिला शस्त्र पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं देने पर, वह व्यक्ति यह रिट दायर कर सकता है।

(ग) प्रतिषेध (Prohibition):
यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालयों को जारी करते हुए उनसे यह कहा जाता है कि संबंधित विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अतएव उसकी सुनवाई स्थगित कर दें।
इस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकार सीमा में बने रहने के लिए बाध्य करना है।
परंतु प्रभावित व्यक्ति ही इस रिट को दायर कर सकता है।

(घ) उत्प्रेरण (Certiorari):
यह रिट प्रतिषेध के समान है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसे न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के घोषणा पूर्ण होने के बाद निकाला जाता है। इसके फलस्वरूप अवैधानिक आदेश या निर्णय को रद्द किया जा सकता है।
प्रतिषेध रिट न्यायिक कार्रवाई के मध्य में निकाली जाती है जबकि उत्प्रेरण निर्णयों के पश्चात।

(च) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto):
यह रिट परमादेश की ही तरह एक विवेकाधीन उपचार है तथा यह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध इसलिए निकाली जाती है कि यह समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति जिस पद पर आसीन है, वह उस पद की वैध पात्रता रखता है या नहीं।
इस रिट को कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है।
परंतु इस रिट के लिए आवश्यक है कि –
(1) पद विधि या संविधान द्वारा सृजित हो
(2) किसी के कृपा पर सेवा नहीं की जा रही हो
(3) पद धारण से संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा हो।

मौलिक अधिकारों का निलंबन
यद्यपि संविधान अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, तथापि निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को निरुद्ध /निलंबित/सीमित कर सकता है:

1.अनुच्छेद 33:
- रक्षा बलों से संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।
- सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम संसद ने इसी अनुच्छेद के तहत पारित किए हैं।

2.अनुच्छेद 34:
- सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

3.अनुच्छेद 368:
- संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किया जा सकता है।

4.अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल):
- राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के समय मौलिक अधिकारों को निस्तारित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) यथावत रहेगा।

- ए.के. लाल
पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप निदेशक,
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

Legal Matter: SC Rules out electronic communication of Notices U/S 41(1) CrPC/35 BNSS

Criminal Procedure Code, 1973 was amended in 2009 and along with other Amendment; **Section 41(1)** was inserted by CrPC Amendment Act 2008 (Act 5 of 2009) which says as follows :-

Notice of appearance before police officer.-(1) [1][The police officer shall], in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of sub-section (1) of Section 41, **issue a notice** directing the person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence, to appear before him or at such other place as may be specified in the notice.

(2)Where such a notice is issued to any person, it shall be the **duty of that person to comply** with the terms of the notice.

(3)Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless, for **reasons to be recorded**, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested.

[2][(4) Where such person, at any time, fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent Court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice.]

But, the provision was **not widely circulated** and Police Stations were mostly **unaware**, leading to non-compliance of the amendment in Section 41, till Supreme Court pronounced a Judgement on a Special Leave Petition filed by **Arnesh Kumar** and set up grounds of Notices to be issued

On 2 July 2014, the Supreme Court framed the **guidelines** the response to a Special Leave Petition (SLP) filed by one Arnesh Kumar challenging his arrest and of his family under this law. In the case of **Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr.**, a two-judge bench of the Supreme Court reviewed the enforcement of section 41(1)(A) of CrPC which instructs state of following certain procedure before arrest.

Interpreting Section 41, the Supreme Court observed that a person arrested for an offence punishable with a sentence of **less than seven years cannot be arrested** by the police officer based on mere allegations. The Apex Court further observed that it has to be necessary that the police officer can arrest in the above situations only once they are satisfied that the arrest is necessary **to prevent the commission of further offences** or tampering with evidence, or when the person arrested cannot be produced before the court.

The “Arnesh Kumar v. State of Bihar” Guidelines are significant because they provide a framework for ensuring that arrests are not made arbitrarily, especially in cases where the punishment is relatively low. They promote **a balance between the rights of the accused and the need for law enforcement.**

New Criminal laws enacted in 2023 and became operational from **1st July 2024**. In BNSS, Section 41 of Cr PC is now Section 35. In January this year in SLP(Crl.) case of **Satender Kumar Antil Vs CBI,** the Supreme Court has directed that police should not serve notice for appearance to the accused/suspect as per Section 41(1) of the CrPC (Section 35 of the BNSS) through WhatsApp or other electronic modes.

The court has made it amply clear that the service of notice through **WhatsApp or other electronic modes cannot be considered** or recognised as an alternative or substitute to the modes of service recognised and prescribed under the CrPC 1973/BNSS 2023.

The court also directed that notices under Section 160 of CrPC/Section 170 of BNSS and Section 175 of CrPC/ Section 195 of BNSS to the accused persons or otherwise can be used **only through the mode of service as prescriber under the CrPC/BNSS**.The court has also directed all the High Courts to hold meetings of their respective Committees for 'Ensuring the implementations of the decisions of the Apex Court on a **monthly** basis, in order to ensure compliance of both the past and the future directions issued by this Court at all levels, and to also ensure that **monthly compliance reports** are being submitted by the concerned authorities.

--The detailed judgement of Hon'ble Supreme Court may be read on https://www.livelaw.in/pdf_upload/order-378892022-21-01-2025-583610.pdf

Sushil Kumar

Assistant Director-cum- SP, Training, BPA

खेलों में छिपा जीवन का दर्शन

जब खून से लथपथ मानवता रो रही थी, तब उसे सभ्यता ने एक उपहार दिया वह उपहार था "खेल"। मानवता ने इस उपहार को पाकर अपने क्रंदन से मुक्ति पाई ।

एक समय था जब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे "पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब" पर समय के साथ परिस्थितियां और कहावत सभी बदल जाते हैं

"आज के दौर में न जितना जरूरी है , और न हारना जरूरी है,
ये खेल ही लाजवाब है इसे बस खेलना जरूरी है।।

आज हमारे लिए खेल का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने स्तर से खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। बिहार सरकार ने तो मेडल लाओ नौकरी पाओ कार्यक्रमों भी चलाया है।जिससे हमारे बिहार के खिलाड़ी का मनोवल और ऊंचा हुआ है ।

इसी क्रम में हमारे 'बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर' में भी हमारी निदेशक महोदया के दिशानिर्देश से " **2nd Annual Sports Meet 2024 -2025** " प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. जिसका फायदा हम प्रशिक्षुओं को मिल रहा है। सर्वप्रथम 16.04.2025 से 18.04.2025 के बीच प्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2025 का आयोजन किया गया था. उसके बाद 19.04.2025 से 20.04.25 के बीच प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता-2024-25 का आयोजन बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रतियोगिता जैसे हैंडबॉल , वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, गोलाफैंक , लॉन्गजंप, बाधा दौर का आयोजन किया गया। 16.04.2025 को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच BPA के विशाल फुटबॉल ग्राउंड में निदेशक महोदया की उपस्थिति में खेला गया। उद्घाटन वाले दिन हरेक कंपनी का मार्चपास्ट हुआ। हर एक कंपनी के आगे एक एक जिला का प्रतिनिधित्व करता हुआ उस जिला का झंडा लहरा रहा था। जोश और जुनून से भरा हुआ हरेक प्रशिक्षु मार्चपास्ट में भाग लिए। उसके बाद मैच शुरू हुआ। यह मैच रोमांच, उमंग, उत्साह और उल्लास का जीवंत प्रतिनिधित्व कर रहा था। खिलाड़ियों के साथ हम प्रशिक्षुओं और सभी अनुदेशको के साथ-साथ सहायक निदेशक प्रशासन, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, उप निदेशक और निदेशक महोदया भी रोमांच से भरे नज़र आ रहे थे और इस अद्भुत प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे।

सुबह-सुबह जगना, PT-परेड में लगभग 4 घंटे बिताना, लगभग 4-5 घंटे क्लास में बैठना और फिर शाम को लगभग 2-ढाई घंटे परेड के बाद का रोल कॉल लगभग सभी प्रशिक्षुओं के लिए आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से कोई भी प्रशिक्षु, अपवादों को छोड़कर, इसे करना नहीं चाहते हैं। जीवन जैसे बोझिल हो चला था परंतु इस खेल प्रतियोगिता ने हम सभी में उमंग और उल्लास का एक माहौल बना दिया है। इस प्रतियोगिता से हम सभी प्रशिक्षुओं में नेतृत्व, अनुशासन, समान लक्ष्य के लिए मिल कर कार्य करना, खेल की भावना, साहस, सहनशीलता आदि गुणों को विकसित करने में मदद मिलेगा।

स्वामी विवेकानंद ने खेलों के माध्यम से जीवन को समझने एवं जीवन जीने की बात बताया है ।

उनका कहना था कि **बिना नियम के जीवन यापन हो सकता है परंतु बिना नियम के खेल नहीं हो सकता है ।**

इन्होंने लोगों को मानसिक मजबूती के साथ ही खेल के द्वारा शारीरिक मजबूती को तरजीह देते थे ।

इस आशय में उनका कहना था कि _ गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलना जरूरी है।खेल समानता को प्रोत्साहित करता है । **पियरे डी कार्बटिन** के शब्दों में **“all sports must be treated on the basis of equality”.**

उद्घाटन मैच के दोनों टीम के खिलाड़ियों में साहस और समर्पण देखने को मिला. दोनों टीम के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्हें दिल से बधाई और आगे के मैच के लिए सभी टीमों को अनंत शुभकामनाएं. इसमें जीत-हार किसी भी टीम की हो पर सभी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं ताकि आप अपने जीवन में हमेशा कुछ करने की कोशिश और जिजीविषा बनाए रखें। मेरे जैसे लोगों के लिए आप प्रेरणास्रोत हैं. जीवन का कोई भी दौर हो अगर अवसर मिले तो कोशिश जरूर करना चाहिए, ये मैं आप से सीख रहा हूँ. दूसरी बात इस आयोजन में जितने भी अनुदेशक सर हैं उनकी क्षमता और कर्मठता भी हमें साफ-साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि, संपूर्ण आयोजन में ये सभी सबसे ज्यादा व्यस्त और परेशान रहते हैं, हम सभी प्रशिक्षुओं को अपने जीवन में उत्साह और साहस के साथ मेहनत करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करने को प्रेरित कर रहे हैं. ये प्रतियोगिता मेरे जीवन के सबसे ख़ास और यादगार दिनों में रहने वाला है। देखते ही देखते आज वो दिन आ गया जिस दिन खेल की खेल की समापन समारोह है तथा मेडल वितरण कार्यक्रम भी है ।

हमारे निदेशक महोदया के द्वारा सभी जीतने वाले टीम एवं प्रशिक्षुओं को मेडल पहना कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई ।

हरेक कंपनी के आगे रखा हुआ मेडल एवं कप जो दूर से ही चमचमा रहा था सभी प्रशिक्षुओं के आंखों में खुशी और सुकून की भावना था अदभुत और अद्वीतीय। और अंत में -

" खेल हमें यह कहता है कि ,मानव का मानव होना अभी बाकी है ,
खेल के बहते पसीने को, आंगन में बोना अभी बाकी है।

सुप्रिया भारती
प्र० पु० अ० नि०

Entries of Endurance

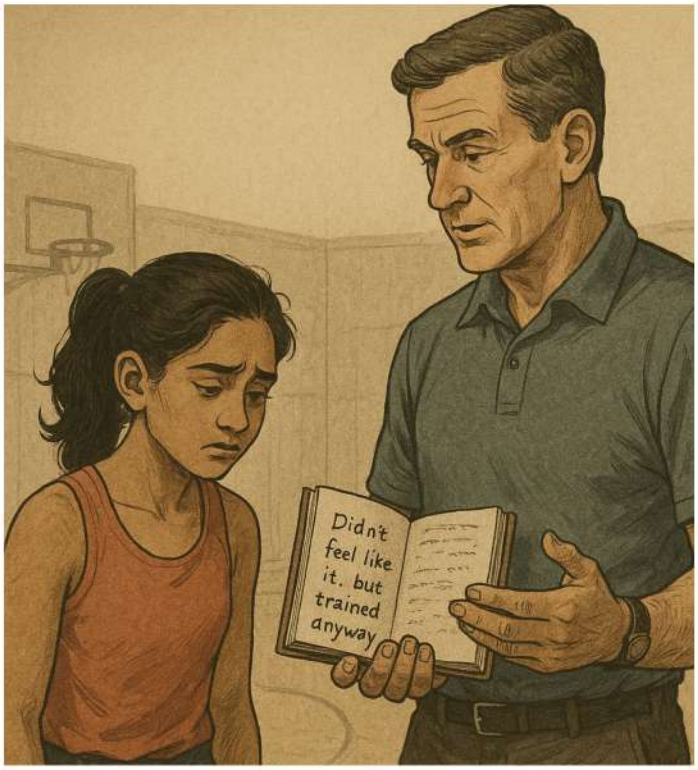

One evening, a young athlete named Riya complained to her coach, "I don't feel motivated today. I don't Want to train."
The coach nodded and handed her a small, worn-out notebook "this is my first training journal" he said. "Look at the entries from day I wrote, 'Didn't feel like it, but trained anyway."
Riya flipped through the pages - day after day of disciplined effort, even when motivation was absent.
"Motivation comes and goes," the coach said. "But discipline builds the bridge It walks on."
From that day on, Riya trained-not just when She felt like it, but because she had chosen her goal. And soon, motivation followed.

Satya Prakash
PSI
chest no- 894
(Coy - I)

वर्दी से पहले

राजगीर की सुबह बुलाती हमें,
कर्तव्य की बात जगाती हमें।
नींदें भले हों अधूरी सही,
पर ख्वाब हैं पूरे दिखाती हमें।

बूटों की आवाज़ गूंजती है,
हर राह से अब दोस्ती है।
पसीने में भी एक चमक सी है,
हर थकावट में मस्ती सी है।

डाँटों में भी एक प्यार छिपा,
हर सीख में ही आकार छिपा।
जो गिरा उठाया गया यहाँ,
हर दिल में ही आधार छिपा।

संग चलें तो राह बनती है,
हर चुप्पी में बात बनती है।
भाईचारा ही जान यहाँ की,
हर दूरी में साथ बनती है।

वर्दी जब पहली बार मिले,
आँखों में हल्की नमी खिले।
कंधे पे सितारे जगमग हों,
दिल में हो सेवा की रेख खिले।

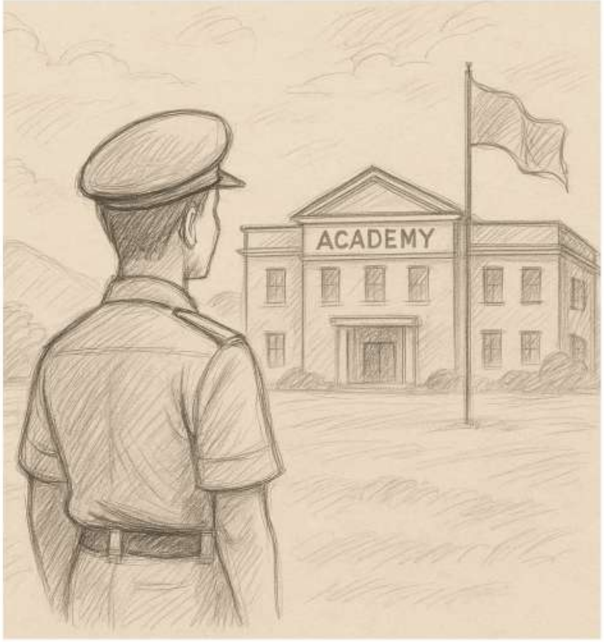

स्वप्न से सेवा तक: मुख्यालय की अनुभूतियाँ

दो महीने के अपने प्रशिक्षण पश्चात मैं और मेरे साथी सरदार पटेल भवन, पुलिस मुख्यालय (बिहार)के सामने खड़े है । तभी मन अपने अतीत में जाकर कुछ पन्ने पलटने लगता है, जब मैं बस एक अभ्यर्थी था और इस भवन से हर बार गुजरते वक्त मन मे एक टीस रहती की क्या कभी मैं भी अपने सपने के लिये आ पाऊंगा ?

हर बार टेबल के उस और रहकर बस शिकायत जैसे अल्फ़ाज़ मन मे रहे लेकिन जब आप टेबल के इस पर आते है तो बहुत चीज़े बदली और अलग नज़र आती है ।

एक वो दिन आज बतौर प्रशिक्षु उपाधीक्षक पहली बार इस भवन में ट्रेनिंग के लिए प्रवेश करते हुए ,अपने आप को बिहार पुलिस का एक अंग के रूप जो एहसास है उसे शायद शब्दो मे पिरोना मेरे बस की बात नही है ।

प्रशिक्षण की बात करे तो इतने नए में हमे तो कुछ नही पता था ,लेकिन हमारे वरिष्ठ ASP special branch द्वारा पुलिस से संबंधित व्यवहारिक बातो के प्रति हमारा मार्गदर्शन , कागजो वाली फ़ाइल से लेकर डिजिटल और स्मार्ट पुलिस की बाते हमारा मन विभोर कर दे रही थी। इसके अलावे दीदी की रसोई की वो 10 रुपए की चाय की मिठास शायद पूरे पटना में कही न मिले ।

फिर वही पता चला कि इस भवन के ऊपरी मंजिल पर एक लाइब्रेरी है उत्सुकता से भरे हम कई प्रशिक्षु ऊपर गए ,पुलिस डायरी ,मैगज़ीन से लेकर विभिन्न केस की सत्य कथाये बहुत अच्छी थी ।

उसी समय मैंने कुछ स्टाफ समेत हमलोग थोड़ा पढ़ने को बैठे ,एक बात तो है कहते है न -

" झोपड़ी आज तूम गिरा दो ,मैं सब सह लुंगी
ये किताबें रही तक कल यहां अपना महल बनाउंगी "

इस पूरे 1 महीने में पुलिस मुख्यालय में इतने खाकी में रहने वालों के बीच रहकर महसूस हुआ कि टेबल के इस ओर और उस ओर रहने में क्या अंतर है ? उस ओर हम अधिकार तो इस ओर कर्तव्य के लिए आवाज़ उठाते है ।

मुख्यालय भवन की घासों पर हर दिन दोपहर की गर्मी में इंतजार करते नए परिवादी इस बात को एहसास कराते है कि चाहे मीडिया और अन्य जगह पुलिस क्यों न नकारात्मक छवि में हो लेकिन आम जनता में एक विश्वास अभी भी है कि न्याय जरूर मिलेगा ,और हम सभी का भी यह कर्तव्य बनता है कि उनका यह विश्वास हमपर बना रहे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के कमरे के सामने वो आशावान आंखे हमे एहसास कराती है कि अगर हम सेवक से साहब बनने का सोच लेंगे ,तो हक की लड़ाई के लिये जनता अपनी आवाज उठाएगी, जो मन मे हम जैसे प्रशिक्षु के लिये एक सकारात्मक प्रेरणा का काम करती है। इसके साथ ही ,नय आये कनिष्ठ के साथ व्यवहार के मामले में भी हमने सीखा।

हमारी मुलाकात DIG special branch मैम से हुई उन्होंने बड़े अच्छे से पूछा कि कोई आगे upsc भी दे रहे है क्या? और हा कहने पर उसपर फ़ोकस के लिये कुछ सलाहें भी दी, इससे विभाग और हमारे सीनियर का लचीलापन मदद करने की भावना मुझे बहुत कुछ सीखा दी।

इस समय मे एक दिन एक और घटना हुई , मैं घर जाने के लिए सरदार पटेल भवन से निकला ही था कि एक महिला पुलिस अपनी बाइक से आई और गलती से एक छोटी गाड़ी से टकराकर गिर गई, किसी ने उन्हें उठाया ,किसी ने पानी दिया किसी ने एम्बुलेंस सब ने जिसे जो याद आया वो किया । इसमें मुझे एहसास हुआ कि आमजन खुद अव्यवस्था को ठीक करने के लिए तत्पर है बस सबको एक कड़ी से कड़ी जोड़कर साथ लाकर ये भरोसा देने की जरूरत है कि हम सब के लक्ष्य समान है तो क्यों न साथ चले।

सार यही है कि टेबल के इस पर हमारे मन मे शिकायतें थी हमे जानकारी के अभाव में हमे हर कमरा एक बंद दीवार लगता था । लेकिन टेबल के इस पार आम जनता के लिए किये सकारात्मक प्रयास और लोगो की समस्या को सुनते हम जैसे लोग मन मे गहरी शांति का भाव देते है कि अभी ग्लास आधा भर हुआ है। डायल 112, महिला की बढ़ती पुलिस भागीदारी जैसे प्रयास काफी महत्वपूर्ण है।

इसलिये ये पूरा 1 महीना मेरे लिये काफी सीखने को रहा ,और अन्तिमतः एक बात मैं कह सकता हूँ कि हम प्रशिक्षु साहब के जगह जन सेवक बनने का प्रण ले और नवाचारी कदमो के प्रति सकारात्मक रहे , लोगो को जोड़ते हुए community poicing का सोचे और हमारे इस Community policing का तात्पर्य **"हर वर्दीधारी एक आम नागरिक भी है ,और हर आम नागरिक एक बिना वर्दीधारी पुलिस है । "**

Ankit kumar ranjan
69th batch
DySP (Prob.)

बिहार पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता की पहल

लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है – सभी लिंगों के साथ समान सम्मान, समझ और सहानुभूति का व्यवहार। पुलिस व्यवस्था में यह गुण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पीड़ितों के पहले संपर्क बिंदु के रूप में पुलिस की भूमिका न्याय के रास्ते को तय करती है। विशेषकर महिलाओं, ट्रांसजेंडर और बच्चों के मामलों में संवेदनशील पुलिसिंग ही उन्हें सुरक्षा और न्याय का भरोसा देती है।

बिहार जैसे पारंपरिक राज्य में यह बदलाव चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ सकारात्मक उदाहरण इस दिशा में आशा जगाते हैं। बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण लागू करने से महिला पुलिस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब थानों में महिला हेल्प डेस्क, महिला मोबाइल पेट्रोलिंग टीम और 'सखी सहायता केंद्र' जैसी पहलों से महिलाएं खुलकर अपनी बात रख रही हैं।

पटना पुलिस द्वारा चलाया गया 'सम्मान' अभियान भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में जाकर छात्राओं को उनके अधिकारों और आत्मरक्षा के तरीकों के बारे में बताया गया। गया जिले में महिला पुलिस की विशेष टीम ने एक नाबालिग पीड़िता को समय पर सहायता पहुँचाकर उसे न्याय दिलाया, जो एक अनुकरणीय उदाहरण है।

हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी हैं — जैसे ग्रामीण थानों में महिला पुलिसकर्मियों की कमी, कुछ अधिकारियों का असंवेदनशील रवैया, और सीमित प्रशिक्षण। परंतु सकारात्मक पहलुओं ने यह सिद्ध किया है कि यदि पुलिस बल में संवेदनशीलता, प्रशिक्षण और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, तो समाज में विश्वास की भावना प्रबल होती है।

निष्कर्षतः बिहार पुलिस लैंगिक संवेदनशीलता की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब आवश्यकता है इस परिवर्तन को नीतिगत और व्यवहारिक स्तर पर और अधिक मज़बूत करने की, ताकि हर नागरिक को – चाहे वह किसी भी लिंग का हो – न्याय और सम्मान सुनिश्चित हो सके।

उज्ज्वल कुमार उपकार
प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक
69 वीं बैच
अकादमी क्रमांक -01

The Beautiful Ache of Becoming

Not long ago, I lived in a completely different world - A world where I used to wake up when the Sun was already warm, where the scorching heat didn't bother inside AC room and where I had the luxury to go into sleep every time after I filled my belly, that too with a desert of my choice. But, then the world changed. Why? Of Course! a product of my aspirations, for who a human would be without aspirations.

I wanted to join civil services and landed here at Bihar Police Academy as DySP trainee. My quiet initial life was of high comfort, no growth now started changing into discomfort and growth. Waking up everyday much before the rising Sun, running before the sun runs up to the horizon, from soft bed towards hard ground, from cushiony comfort to aching muscles - represent the transitioning phase of Resistance, Adaptation and Integration.

I believe myself to be in the second phase. This is not just my story, but of many, here in the academy as well as outside it, not only of the armed forces but of ordinary people as well. It all can be summed up in Five stages. The Ordinary World Just the world we live in, a world in which we only have our aim, our aspirations but they haven't turned into reality yet. For students, it's the sedentary lifestyle most or almost all of us have lived in.

The preparation phase, untimely eating and sleeping, the only thing that mattered is syllabus completion, tests and revision. Family functions and festivals became luxury for many. I came only once in 5 yrs for chhath puja. This phase although has a lot of comfort physically but mentally it's very stressful and exhausting.

The only light at the end of the tunnel remains seeing oneself in the holy pdf of the final result. I too dreamt of it and one day on 26th of November 2024 , it happened.

That moment is so unforgettable and unexplainable. The call to Adventure The phase where I landed into the reality of joining the service.

I realised there are many things that I will have to do on my own, and there would be no excuse for not doing it. I learnt how government formalities are, and how to manage them.

Then after a couple of months, I landed into BPA, waiting for so long. The Ordeal Never had I ever thought of waking up at 5 am, especially on a daily basis, Monday to Saturday. I wasn't ready either physically or mentally.

BIPARD seemed tough but coming to BPA(Rajgir), I realised it was much easier to wake up at 5 than at 3.45 am. The first couple of days at BPA were exciting as we all have longed to start the training meant for us, for Police. But then the ordeal started, of Pain, of uncomfortable sweating and that too in scorching sun, of going to parade ground in fever.

What I didn't run in a year, ran in a week at BPA. The Transformation with time, I got adjusted to all these new pain, and many times, coming after intense morning PT and drill sessions, it felt beautiful, the Pain felt beautiful! Then came new fears, fear of water as swimming started, fear of height as BOAC started. I nearly drowned (went down 2-3 times) the first day, and it took me 5 more swimming days to overcome the fear of drowning. From running 2 kms to 10 kms, everyone, like me, overcame many physical and mental barriers.

Change is painful and it was most visible here in our training. Only about 2 months have gone but it seems much longer. The training has transformed me and others in very different ways. The pain of discipline, as much as we can, we have endured, has made minute changes in our personality.

The Return Who am I after I am transformed? Indeed, Navneet Anand. That's the beauty of it. You get transformed but you only return to your original self, only much better than before.

This last phase I don't want to predict, as almost 10 months remain in training here and we have to undergo many different phases of our training.

What I would be is a different question than who I would be. This is a question I leave open for myself and my readers. But, whatsoever, the graph of this transformation is going to be of positive slope, i.e. in simpler words, I would return better and much better than I have entered. I might be wholly changed, but in a positive way, I believe in myself. Which phase of transformation are you in ?

Who would you be after you crossed a certain milestone in your life or career or whatsoever ? These are questions that need to be asked, and asked seriously.

The fall of civilization is visible by us, human being choosing to live easily and hence mediocre. In such a world, becoming human, asking existential questions to self, becomes a panacea to modern problems. Ask yourself, consider your aspirations, find your goal, go for it. Pain is a part of learning, as Nietzsche said "what doesn't kill you, makes you stronger".

Self actualisation is the need of the hour. My story is not extraordinary, rather it's so ordinary you would find it a story of millions. But what's important is that in those million of stories, there lived aspirations and for getting them it required transformation which entailed pain before success.

Accept those pain, fight mentally and you will get there soon, I promise. Get yourself going, you will reach there certain.

Navneet Anand
69th Batch DySP
Chest no. 8

शून्य

जीवन शून्य, मृत्यु शून्य
शून्य धरा की प्रकृति शून्य
स्वप्न शून्य, अपनत्व शून्य
शून्य आरम्भ का अंत शून्य

भाव शून्य, अभाव शून्य
शब्द शून्य, अर्थों का प्रवाह शून्य
विचार शून्य, व्यवहार शून्य
सांस-सांस में संचार शून्य

मौन शून्य, क्रंदन शून्य
नयन खुले तो दर्शन शून्य
राग शून्य, विराग शून्य
सब कुछ है फिर भी सब शून्य

पर शून्य में ही पूर्ण शून्य
जैसे अंधकार में चंद्र शून्य
शून्य नहीं है केवल शून्य
शून्य में छुपा है मूल शून्य

शून्य जहाँ, वहाँ नयापन शून्य
शून्य में ही जन्मे सपन शून्य
शून्य नहीं अंत कहानी का
शून्य ही बीज है जिंदगानी का।।

विकाश कुमार
परि० जिला समादेष्टा
68th batch
Ch No-10

पहले

जिंदगी की शाम होने से पहले
अपनों में आम होने से पहले
हसरतों को नाकाम होने से पहले
यादों में एक नाम होने से पहले
मिलना मुझसे।

ख़्वाबों के पंख टूटने से पहले
रातों के रंग रूठने से पहले
आँखों से आँसू लुढ़कने से पहले
लबों की हँसी को थकने से पहले
मिलना मुझसे।
वक़्त किरण बुझने से पहले
मनदर्पण धुंधलाने से पहले
जीवन राह बदलने से पहले
`हम-तुम' सांचे में ढलने से पहले
मिलना मुझसे।

फिर न कहना पल कम थे
न ही मेरे जतन कम थे
मिलन विरह की ये रात, ढलने से पहले
दीवा स्वप्न के टूटने से पहले
मिलना मुझसे।

Few Snaps from the Greyhounds attachment:

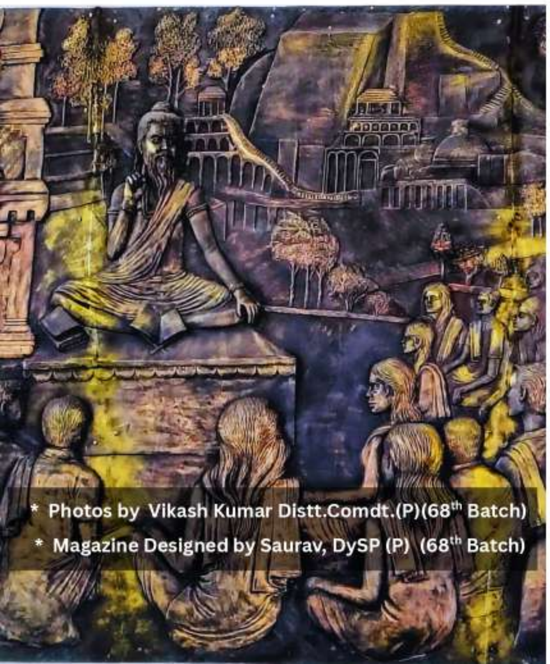

* Photos by Vikash Kumar Distt.Comdt.(P)(68th Batch)
* Magazine Designed by Saurav, DySP (P) (68th Batch)